न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया,

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 395/2019

प्रार्थीगणः–

1 बरसींगाराम पुत्र श्री गुलाबराम
जाति गवारिया निवासी औसिया।

2 मीरा पत्नि श्री धारूराम

3 खेमाराम पुत्र श्री आसुराम
जाति मेगवाल निवासी औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

4 रवि रावल पुत्र श्री माधाराम

5 ओमी पत्नि श्री माधाराम
जाति रावल निवासी औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगणः–

1 बभुताराम पुत्र श्री प्रतापराम

2 लालाराम पुत्र श्री प्रतापराम

3 शिवलाल पुत्र श्री प्रतापराम फौत जिनके कायम मुकाम
3–(1) पूनाराम पुत्र श्री शिवलाल
3–(2) जेहराराम पुत्र श्री शिवलाल
3–(3) कबूदेवी पत्नि श्री शिवलाल

4 शिम्भुराम पुत्र श्री मोडाराम
जाति मेगवाल निवासी औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

5 बद्रीराम उर्फ बद्रीनारायण पुत्र श्री लिछमणराम

6 ढली देवी पत्नि श्री बद्रीराम
जाति मेगवाल निवासी प्रतापनगर औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

पस्थित

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

2 श्री चूनाराम गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट.

दिंनाक – 02.12.2020

– निर्णय –

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम औसिया की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 1597/4 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/111 रकबा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/100 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/103 रकबा 6 बीस्वा, खसरानम्बर 1597/104 रकबा 6 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/99 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/101 रकबा 1 बीघा 10 बीस्वा, खसरा नम्बर 1597/102 रकबा 6 बीस्वा भूमि आवासीय व कृषि भूमि आई हुई है । उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि मे आने जाने के

Scanned with CamScanner

लिए ग्राम औसिया से थोब जाने वाली डामर सडक से एक कदमी रास्ता खसरा नम्बर 1599 मे से होता हुआ अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1597/2 मे से प्रार्थीगण की भूमि मे आता है जो नजरी नक्शे मे मार्क **ए** से **बी** व **सी** से **डी** दर्शाया गया है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उनके खसरा नम्बर 1597/2 मे से जहां रास्ता चलता है वहां ग्रेंवल सडक भी बनी हुई है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 के तीन घरो से आगे से गुजरता हुआ प्रार्थीगण की भूमि मे आता है । उसे राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज कराने के लिए कहा किन्तु अप्रार्थीगण नही माने तथा उक्त रास्ते को भविष्य मे कभी भी बन्द करने की धमकी दी जब कि उक्त रास्ता आज दिन मौके पर चालु है व ग्रेवल सडक बनी हुई है जो रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि मे से जाता है । अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 को सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है इनका हक हिस्सा रास्ते की भुमि से प्रभावित नही होता है । खसरा नम्बर 1597/2 रकबा 9 बीघा मे से मार्क सी से डी तक 30 फुट चोडा रास्ता घोषित किया जावे । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नही हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । प्रार्थीगण को उक्त रास्ता कटान के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 30 फुट चोडा प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्धारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि असिंचित है । प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए तीस फुट चोडे रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व गाडी मोटर आसानी से आ जा सके एवं आवागमन मे कोई असुविधा नही हो । प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं निकटतम् रास्ता है । प्रार्थीगण के दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है ।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 2 से 2 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । अप्रार्थीगण ने इकबाली जबाब मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1597/2 मे से नजरी नक्शे मे दर्षाये अनुसार 20 फुट चोडा रास्ता मंन्जुर किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 को कोई आपत्ती नही है । हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

ग्राम औसिया के खेत खसरा नम्बर 1599 मे से हल्का आर.आई फर्द मौका रिपोर्ट मे नजरी नक्शा के अनुसार मार्क सी से डी 20 फुट चोडा रास्ता के उपयोग हेतु घोषित किया जाता है । प्रार्थीगण से नियमानुसार डी, एल, सी, की दर से दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिनाक 02.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर, औसिया।

Scanned with CamScanner